

-जरिये ई-मेल-

कार्यालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बून्दी (राजस्थान)

क्रमांक : स्था./2024/95

दिनांक : 11/12/24

:: कार्यालय आदेश ::

वर्ष, 2024 के माह **दिसम्बर** में दिनांक 22.12.2024 से दिनांक 01.01.2025 तक आने वाले राजकीय अवकाशों हेतु बून्दी न्यायक्षेत्र के लिये आवश्यक फौजदारी कार्य, रिमाण्ड, जमानत एवं अन्य आवश्यक कार्य/मृत्युकालिक कथन, धारा 164 दं.प्र.सं. के कथन/धारा 176 दं.प्र.सं. की कार्यवाही हेतु रिमाण्ड ड्यूटी के लिये निम्नलिखित तारीखों में उनके सामने अंकित मजिस्ट्रेट्स को न्यायालय में वक्त प्रातः 11.00 ए.एम. से दोपहर 02.00 पी.एम. तक करने के लिये अधिकृत किया जाता है-

क्र.सं.	नाम अधिकारी व पद	ड्यूटी की दिनांक	मोबाईल नम्बर
1	श्री कमल कुमार अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बून्दी	25.12.2024	8290802973
2	श्री करन सिंह, न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय तालेड़ा, जिला बून्दी	28.12.2024 29.12.2024	9460012914
3	श्री सिद्धान्त सक्सेना, अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या-1, बून्दी	01.01.2025	8387988469

नोट :-1. उक्त रिमाण्ड ड्यूटी प्रत्येक राजपत्रित अवकाश की तिथि के पूर्व कार्य दिवस के कार्यालय समय पश्चात से राजपत्रित अवकाश के अग्रिम कार्य दिवस के कार्यालय समय पूर्व तक रहेगी। उक्त राजपत्रित अवकाशों के अलावा अन्य कोई राजकीय अवकाश/स्थानीय अवकाश घोषित किये जाने पर घोषित अवकाश के दिवस को जमानत, रिमाण्ड व आवश्यक उक्त कार्यों के लिये समस्त बून्दी न्यायक्षेत्र के लिये श्री जाकिर हुसैन, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नैनवां, जिला बून्दी की ड्यूटी लगाई जाती है।

2- अभियुक्तगण को निर्धारित समय ही अवकाश न्यायालय के समक्ष पेश किया जावे। संबंधित थानाधिकारी के द्वारा मात्र विशेष एवं आपवादिक परिस्थितियों में ही मुलजिम को निवास पर पेश किया जावे। संबंधित न्यायालय का स्टाफ अवकाश के दिन उपस्थित रहेगा।

3- उक्त आदेश में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा, अपरिहार्य परिस्थितियों में ड्यूटी परिवर्तन हेतु संबंधित न्यायिक अधिकारी द्वारा माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, बून्दी की पूर्वानुमति से अपने स्तर पर अन्य न्यायिक अधिकारी से लिखित सहमति प्राप्त कर प्रार्थना पत्र मय सहमति के इस कार्यालय में प्रेषित किये जाने के उपरान्त ही प्रार्थना पत्र पर विचार किया जायेगा। इस संबंध में अनावश्यक मौखिक वार्ता नहीं की जावे।

4- अवकाश के दिन यदि संबंधित मजिस्ट्रेट अथवा लिंक मजिस्ट्रेट मुख्यालय पर उपस्थित है तो उनसे भी जमानत, रिमाण्ड एवं अन्य आवश्यक कार्यों के लिये आदेश प्राप्त किया जा सकता है।

5- अवकाश के दौरान प्रस्तुत एफ.आई.आर., रिमाण्ड कागजात एवं अन्य दस्तावेजात् आवश्यक रूप से अविलम्ब संबंधित न्यायालय को प्रेषित करें।

सावित्री सिंह
11/12/2024

6- उक्त किसी भी अधिकारीगण का स्थानान्तरण होने पर उनके स्थान पर आने वाले अधिकारी द्वारा ही नियत अवधि में रिमाण्ड ड्यूटी सम्पादित की जावेगी।

7- सभी मुख्यालयों के अधिकारीगण अपने मुख्यालय पर उपस्थित रहकर प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 02.00 बजे तक अपने न्यायालय में बैठकर एवं आगामी कार्य दिवस के कार्यालय समय पूर्व तक जे.सी./पी.सी. रिमाण्ड, प्रोटोकॉल व अन्य आवश्यक न्यायिक कार्य सम्पादित करेंगे तथा किसी भी प्रकार की आवश्यकता होने पर दूरभाष या अन्य सन्देश प्राप्त होने पर अविलम्ब बून्दी मुख्यालय पर उपस्थित होंगे।

श्यामिनी सिंह
7/12/2024
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
बून्दी (राजस्थान)

क्रमांक : सामान्य/2024/3855-3864

दिनांक : 7/12/24

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- (1) श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, बून्दी.
- (2) जिला पुलिस अधीक्षक, बून्दी को प्रतिलिपि प्रेषित कर लेख है कि सभी आरक्षी केन्द्रों के थानाधिकारियों को जे.सी./पी.सी. रिमाण्ड व अन्य आवश्यक न्यायिक कार्यों के लिये उपर्युक्त तिथियों में नियत समयावधि में पहुँचना सुनिश्चित करें।
- (3) संबंधित पीठासीन अधिकारी
- (4) जिला आबकारी अधिकारी, बून्दी को प्रतिलिपि प्रेषित कर लेख है कि अपने अधीन कार्यरत वृत्त निरीक्षक, प्रहराधिकारी, भारसाधक अधिकारी, आबकारी थाना को जे.सी./पी.सी. रिमाण्ड व अन्य आवश्यक न्यायिक कार्यों के लिये उपर्युक्त तिथियों में नियत समयावधि में पहुँचना सुनिश्चित करें।
- (5) पुलिस कंट्रोल रूम/ए.डी.पी. ऑफिस बून्दी
- (6) उपाधीक्षक, जिला कारागृह, बून्दी
- (7) अध्यक्ष, अभिभाषक परिषद, बून्दी.
- (8) सिस्टम अधिकारी, कम्प्यूटर शाखा, बून्दी को प्रतिलिपि भेजकर लेख है कि वह इस मैसेज को जिला न्यायालय की वेब साईट पर अपलोड करें।

श्यामिनी सिंह
7/12/2024
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
बून्दी (राजस्थान)

कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बून्दी(राज0)

क्रमांक : स्था0 / 2022 / 05 / 02 / 10996

दिनांक : 06/12/2024

प्रेषिति-

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बून्दी(राज0)

विषय :- रिमाण्ड ड्यूटी के सम्बन्ध में।
प्रसंग :- आपका पत्रांक : सामान्य / 2024 / 3303,
दिनांक : 21.11.2024


महोदय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंग में लेख है कि माह दिसम्बर, 2024 व जनवरी, 2025 के निम्नलिखित अवकाश दिवसों में रिमाण्ड ड्यूटी हेतु निम्नानुसार न्यायिक अधिकारीगण के नाम का अनुमोदन किया जाता है :-

क्र.सं.	न्यायिक अधिकारी का नाम व पद	रिमाण्ड ड्यूटी की दिनांक
1	श्री कमल कुमार, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बून्दी	25/12/24
2	श्री करन सिंह, न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, तालेड़ा	28 & 29/12/24
3	श्री सिद्धान्त सक्सेना, अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या-01, बून्दी	01/01/25

तदनुसार अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित करें।

भवदीय


जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
बून्दी (राज0)